

कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 1.8.18 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

18-9-18 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 25.9.18 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

25-9-18 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 9.10.18 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

9-10-18 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 13.11.18 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

13.11.18 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 21.12.18 को पेश हो।


रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

21-12-18 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 8.1.19 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

8.1.19 पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरिफेन उपस्थित, तहसीलद्वारा माण्डल से विभाजन स्कीम तैयार होकर प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई, प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ चाही।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्राप्त विभाजन स्कीम पर मनन किया। न्याय हित से प्राप्त विभाजन

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

हुम या कार्यवाही मय इतिशयल्ल जज

मन्तर ३ कार्यवाही  
उत्तरकाम जो हुम  
हुम की जागीर  
में जारी हुए

स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिफ्टी बड्स वादी विरुद्ध प्रतिवादी के इस आग्रह की धारी की जाती है। कि ग्राम मांडल पटवार हल्का मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नोक्ति आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के साफेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कि जावे।

श्री मनोहर लाल पिता लेहक जाट निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल जिला - भीलवाड़ा

आराजीसं: रकबा

4166 0.16  
1

किता 01 रकबा 0.16


2. श्री रतनलाल पिता श्री देवकरण जाट निवासी - माण्डल तहसील माण्डल जिला - भीलवाड़ा

आराजीसं: रकबा

4166 0.16  
1

किता 01 रकबा 0.16

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा फरिफेन अपना-अपना वहन करे। तदनुसार डिफ्टी धारी हो। पत्रावली फंसल नुमार की जाकर दफ्तरदारिबल हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा